

प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-डी-1052/सात-न्याय-3-19-54जी/2018, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के अनुपालन में जनपद शामली में जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी/दीवानी/राजस्व), सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी/दीवानी) नामिका वकील(दीवानी) के पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल गठित कर शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-4366/जे0ए0/2019, दिनांक 06-09-2019 के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कर इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त प्रकाशित विज्ञप्ति के आलेक में नामिका वकील(दीवानी) के एक पद के सापेक्ष केवल 02 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

अतः नामिका वकील(दीवानी) के एक पद के सापेक्ष इच्छुक अधिवक्ताओं से दिनांक 02/11/2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी के लिये अर्हतायें एवं आवेदन का प्रारूप इस कार्यालय के पत्र संख्या-4366/जे0ए0/2019, दिनांक 06-09-2019 के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार ही रहेगा।

(अखिलेश सिंह)  
जिला मजिस्ट्रेट,  
शामली।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, शामली

सं-4366/जे0ए0/2019

दिनांक 19/10/2019

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग-3(नियुक्तियां) लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-डी-1052/सात-न्याय-3-19-54जी/2018, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

- 2- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद शामली(न्यायालय स्थित कैराना)।
- 3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर/सहारनपुर/बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति, आवेदन पत्र/प्रारूपों सहित अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 4- उप जिलाधिकारी, शामली/कैराना/ऊन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- 5- प्रभारी अधिकारी(वाद) कलेक्ट्रेट, शामली।
- 6- सचिव, जिला बार एसोसिएशन, शामली।
- 7- सचिव, बार एसोसिएशन, कैराना/शामली/ऊन।
- 8- नाजिर सदर, कार्यालय आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- 9- नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट शामली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- 10- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्ट्रेट, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति, आवेदन पत्र एवं प्रपत्र-क व ख को वेबसाइट [www.shamli.nic.in](http://www.shamli.nic.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- जिला सूचना अधिकारी, शामली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के संबंध में सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(अखिलेश सिंह)  
जिला मजिस्ट्रेट,  
शामली।